



प्रारंभिक अधिसूचना स्कीम प्रक्रिया



प्रारंभिक अधिसूचना योजना कानूनी जांच प्रक्रिया



कृपया ध्यान दें, आपकी जाँच में कई कारकों के आधार पर अधिक समय लग सकता है। आप या आपके प्रतिनिधियों को आपकी जाँच के दौरान ताज़ा जानकारी दी जाएगी।

सहायता संगठनों के उदाहरण:

ब्लिस (Bliss)

hello@bliss.org.uk

राष्ट्रीय चैरिटी जो समय से पहले या बीमार पैदा हुए बच्चों और उनके परिवारों की सहायता करती है। वे एक फ्रीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से सलाह और सहायता पेश कर सकते हैं। फोन: 020 7378 1122.

NHS मनोवैज्ञानिक चिकित्सा तक पहुँच में सुधार

www.england.nhs.uk/mental-health/adults/iapt/

IAPT सेवा के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा तक निःशुल्क पहुँच। इस तक लिंक द्वारा पहुँचा जा सकता है और स्व-रेफरल के विवरणों सहित आपके क्षेत्र में सेवाओं का पता लगाया जा सकता है।

पीप्स एचआईई (Peeps HIE)

www.peeps-hie.org

हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी (HIE) के साथ पैदा हुए बच्चों से प्रभावित परिवारों को सहायता। फोन: 0800 987 5422.

सैंड्स (Sands)

www.sands.org.uk

यह एक चैरिटी संस्था है, जो शिशु की मृत्यु से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को सहायता प्रदान करने तथा शोक संतप्त माता-पिता को मिलने वाली देखभाल में सुधार लाने के लिए स्थापित की गई है।

समैरिटन्स (Samaritans)

www.samaritans.org

वर्ष के 365 दिन 24 घंटे निःशुल्क सुनने और सलाह देने की सेवा। यूके और रिपब्लिक ऑफ़ आयरलैंड से किसी भी समय किसी भी फ़ोन से 116 123 पर कॉल करके उनसे संपर्क किया जा सकता है।

स्वतंत्र जानकारी, सलाह और सहायता प्रदान करने वाले संगठन:

चिकित्सा दुर्घटनाओं के विरुद्ध कार्रवाई (Action against Medical Accidents या AvMA)

www.avma.org.uk

AvMA एक स्वतंत्र चैरिटी है जो निम्न दर्जे की स्वास्थ्य सेवा से प्रभावित लोगों को मुफ़्त सलाह, सूचना और सहायता प्रदान करती है, वे आपको ऐसे वकीलों के पास भेज सकते हैं जो इस काम में विशेषज्ञ हैं और जो उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। AvMA मातृत्व से संबंधित जांचों, प्रारंभिक अधिसूचना स्कीम और अन्य प्रक्रियाओं पर परिवारों को सलाह और सहायता दे सकता है। AvMA की टेलीफोन हेल्पलाइन भी मुफ़्त सलाह प्रदान करती है और इसमें पेशेवर वालंटियर काम करते हैं। यह हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक खुली रहती है। फोन: 0345 123 23 52.

लॉ सोसाइटी (Law Society)

www.lawsociety.org.uk

ऐसा संगठन जो इस बारे में विवरण प्रदान कर सकता है कि स्वतंत्र कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए किसी विशेषज्ञ चिकित्सीय लापरवाही वकील से संपर्क कैसे करना है।

सिटीज़न्स एडवाइस ब्यूरो (Citizens Advice Bureau)

www.citizensadvice.org.uk

वालोंटियर द्वारा मुफ्त सलाह जो शायद आपका किसी कानूनी सलाहकार से संपर्क करवा सकता है।